POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! ग्राम गदर जनमत सर्वेक्षण - 2018 के परिणाम दर्शाते हैं कि यदि आज चुनाव होते हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कुछ मजबूत दिखाई दे रही है।

लोगों का मानना है कि वर्तमान भाजपा सरकार चुनाव के समय किए गए अधिकांश वादों को समय पर पूरा नहीं कर पाई।

साथ ही, प्रशासनिक कमियों के चलते जिन योजनाओं को वसुन्धरा सरकार ने धरातल पर उतारा, उनका लाभ काफी अंतराल के बाद में जरूरतमंदों को मिल पाया।

सरकार की भामाशाह योजना को करीब दस आने लोगों ने अच्छा बताया है और काफी तारीफ भी की है। लेकिन अच्छी योजना होने के बावजूद इसकी क्रियान्विति में लोगों को काफी पेचिदगियों का सामना करना पड़ा।

सर्वे में पूछा गया कि चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? तो इसके जवाब में ज्यादातर लोगों का मानना है कि आमजन को योजनाओं का समय पर सही लाभ मिलें।

देश और प्रदेश के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार न हो और इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई है। इसका हल निकाला जाना चाहिए। लोग बेरोजगार होने की वजह से गांवों से पलायन नहीं करें इसके लिए कृषि को खास अहमियत दी जाए।

गांव का युवा आज अपने गांव से पलायन कर शहरों की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिससे कृषि का विस्तार सीमित होता जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है जो कि आने वाली पीढियों के लिए कष्टदायी हो सकती है। इस समस्या का समाधान ग्रामीण स्तर पर ही निकाला जाना आवश्यक है।

वर्ष 2005 से पहले जन्मी तो भी पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक देने की व्यवस्था की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका जन्म साल 2005 के पहले ही क्यों न हुआ हो।

जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा है कि संशोधित कानून यह गारंटी देता है कि बेटी भी जन्म से ही साझीदार होगी और उसके भी वैसे ही अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे, जैसे बेटे के होते हैं। पैतृक संपत्ति में बेटी का भी हक है, भले उसका जन्म 2005 में कानून बनने से पहले हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दो बहनों की याचिका पर दिया है जो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहती हैं। इन बहनों के भाइयों ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया था।

सभी मामलों में होगा लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून वर्ष 2005 के पहले दायर और कानून बनने के बाद लंबित संपत्ति से जुड़े सभी मामलों में लागू होता है। बेंच ने कहा, संयुक्त हिंदू परिवार से जुड़ा कानून मिताक्षिरा कानून से संचालित होता है। जिसमें काफी बदलाव हुआ है। यह बदलाव नजदीकी पारिवारिक सदस्यों विशेषकर बेटियों को समान अधिकार देने की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उपभोक्ता अदालत ने पाया एसबीआई को सेवाओं में कमी का दोषी

अकोला जिले के उपभोक्ता मंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को सेवाओं में कमी का दोषी माना है। मामले के अनुसार प्रदीप शितरे एसबीआई के एटीएम से 5000 रुपए निकलवाने गए, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला और 5000 रुपए उनके खाते में कट गए। उन्होंने एसबीआई की संबंधित शाखा में जाकर बैंक अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद वह कई बार बैंक अधिकारियों से मिले लेकिन उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला।

हारकर उन्होंने उपभोक्ता मंच में एसबीआई के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया, जिसमें संबंधित सभी जानकारियां दी गई। मामले की सुनवाई के लिए मंच ने एसबीआई को नियत तिथि पर जवाब प्रस्तुत करने और उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया। लेकिन इसके बावजूद बैंक की ओर से कोई अधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इस पर मंच ने एक तरफा फैसला देते हुए बैंक को आदेश दिए कि वह खाता धारक प्रदीप शितरे को 5000 रुपए की वह राशि लौटाए, जो उसके खाते से गलत ढंग से काट ली गई थीं। साथ ही मंच ने इसे बैंक की लापरवाही एवं सेवा में कमी मानते हुए 3000 रुपए बतौर मुआवजा व 2000 रुपए परिवाद खर्च देने के भी निर्देश दिए हैं।

ग्राम गदर जनमत सर्वेक्षण - 2018

ग्रामीण जनता में वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष

मौजूदा राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल के बारे में कुल मिलाकर केवल 15 फीसदी लोगों ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल को सफल और 41 फीसदी लोगों ने इसे सामान्य करार दिया। जबकि 38 फीसदी लोगों ने इस कार्यकाल को असफल बताया।

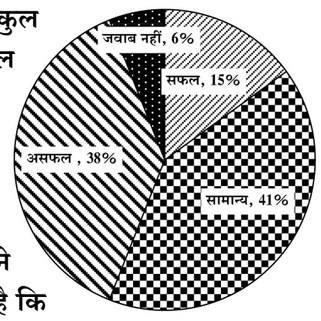

इसी क्रम में कार्यकाल को असफल बताने वाले लोगों से इसका कारण पूछा गया तो 16 फीसदी ने इसके पीछे कुशल नेतृत्व के अभाव के चलते बढ़ती महंगाई और 13 फीसदी ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खास मुद्दा माना। 38 फीसदी का मत है कि प्राय: सभी मुद्दें व बिगड़ी कानून व्यवस्था इसका कारण है।

यह जनमत सर्वेक्षण वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन और ज्वलंत मुद्दों पर ग्रामीण समुदाय की राय जानने के उद्देश्य से किया गया। इस बार किए गए इस सर्वेक्षण में आज राज्य विधान सभा के चुनाव हों तो क्या स्थिति बनेगी, इस पर भी रायशुमारी की गई।

राज्य के समस्त 33 जिलों की अधिकांश पंचायत समितियों में स्थित कार्यकर्ताओं को भेजे गए सर्वे फॉर्मों में से संस्था को तीस जिलों की 158 पंचायत समितियों की करीब 512 ग्राम पंचायतों से 1866 सर्वे परिपत्र प्राप्त हुए। सभी सर्वे फार्म 'कट्स' कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर सीधी बातचीत के आधार पर पूर्ण किए गए हैं। विश्लेषण करने पर मुख्य तौर पर यह परिणाम सामने आए हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में करीब 36 फीसदी लोगों की पहली पसंद अशोक गहलोत है। जबकि 15 फीसदी लोग ही मुख्यमंत्री के रूप में वसुन्धरा राजे को पुन: देखना चाहते है। करीब 21 फीसदी लोगों ने सचिन पायलट को इस पद पर बिठाने की इच्छा जाहिर की है। सी.पी. जोशी (11 फीसदी) इस पसंद की दौड़ में काफी पिछड़ गए हैं। जबकि बाकी 17 फीसदी ने किसी अन्य को चुना।

इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनाव में किस दल को बहुमत मिलने की उम्मीद हैं? इस प्रश्न के उत्तर में 58 फीसदी लोग कांग्रेस को फिर से कुर्सी पर बिठाने का मानस रखते हैं। सिर्फ 28 फीसदी लोग ही भाजपा को पुन: सत्तारूढ़ देखने के पक्ष में हैं। करीब 14 फीसदी लोगों ने इस सवाल के जवाब में अपने को मौन रखा और अपना मत स्पष्ट नहीं किया।

सर्वेक्षण में पूछे गये प्रश्नों से यह भी आया सामने

- आपकी नजर में राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
  भ्रष्टाचार 17% महंगाई 12% बेरोजगारी 53%
  कानून व्यवस्था 7% अन्य कोई 11%
- वर्तमान में बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है?
  भ्रष्टाचार 29% योजनाओं की विफलता 33%
  आर्थिक मंदी 21% काला बाजारी 17%
- क्या आप वर्तमान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना से संतुष्ट हैं?
  हां 31% कुछ हद तक 31% नहीं 32% कोई राय नहीं 6%
- क्या प्रदेश में लागू राशन व्यवस्था से निर्धन व कमजोर वर्ग को संबल मिला है?
  हां 28% कुछ हद तक 43% नहीं 24% कोई राय नहीं 5%
- क्या आप मानते हैं कि राज्य की वर्तमान सरकार सही दिशा में काम कर रही है ?
  हां 13% ठीक-ठाक 32% नहीं 48% कोई राय नहीं 7%
- आपके विचार से क्या राज्य सरकार अपने चुनावी वादों पर खरी उतरी है?
  हां 12% नहीं 71% कोई राय नहीं 17%
- क्या आप मानते हैं राजस्थान में केन्द्र सरकार की योजनाओ जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मृदा जांच योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और आर्थिक सुधार कार्यक्रम आदि का क्रियान्वयन पूरी तरह से हो रहा है?
  हां 28% नहीं 49% कोई राय नहीं 12% अन्य कोई 11%

खाद्य पदार्थों में बढ़ी मिलावट

प्रदेश में मिलावटखोर बेखौफ होते जा रहे हैं। पिछले सात सालों में खाद्य पदार्थों में मिलावट 10 गुना ज्यादा हो गई। वर्ष 2011 में जहां खाद्य पदार्थों के 267 नमूनों में मिलावट मिली थी वहीं 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 2080 तक पहुंच गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इन मिलावटी नमूनों में 1709 अनसेफ पाए गए, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक की श्रेणी में आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एक भी मिलावटखोर को सजा नहीं दिलवा पाया। इससे मिलावटखोर बेखौफ होकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

चारागाह भूमि विकसित करेगी सरकार

राज्य सरकार ने बंजर और चारागाह भूमि को उपयोगी बनाने के लिहाज से नए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की हर पंचायत समिति में 5 से 10 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास की कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए पहले 90 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य शुरू किए जाएंगे। योजना के तहत बंजर भूमि पर पौधारोपण कराया जाएगा।

इस कार्य के लिए बायोफ्यूल प्राधिकरण को नोडल ऐजेंसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चारागाह भूमि विकास के लिए जिला परिषदों के माध्यम से जमीन चिन्हीकरण की कार्रवाई और विकास कार्ययोजना तैयारी के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर मुहर लगाई जाएगी।

पर्यटक देखेंगे खेतीबाड़ी के नवाचार

कृषि विभाग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा फूड पार्क बनाने की योजना बना रहा है। खास बात यह होगी कि इस पार्क में ऑर्गेनिक खेती के साथ ही फूड प्रोसेसिंग, कृषि संबंधित शिक्षा एवं रेस्टोरेंट समेत अन्य कई सुविधाओं को एक ही स्थान पर संचालित किया जाएगा।

फूड पार्क में पर्यटकों के ठहरने, खाने-पीने और उन्हें खेतीबाड़ी के नवाचारों से रूबरू करवाने की तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। साथ ही किसानों व कृषि से जुड़े छात्रों को इन स्थलों के भ्रमण के जरिए नई तकनीक की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

दो करोड़ खर्च फिर भी नहीं मिला पानी

तेरहवें वित्त आयोग से पंचायतीराज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राशि मुहैया करवाई गई। लेकिन करीब दो करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने के बाद भी 51 ट्यूबवैलों से लोगों को पानी नसीब नहीं हो सका।

पंचायतीराज संस्थाओं के लेखों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि नोखा में दो करोड़ दस लाख रुपए की लागत से निर्मित 51 ट्यूबवैलों की स्थापना एवं विद्युत कनेक्शन के अभाव में अनुपयोगी रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल रहा।

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी

केन्द्रीय कैबिनेट ने 'आयुष्मान भारत' राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जल्द ही देश के दस करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए का बीमा कवर मिल सकेगा।

अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30 हजार रुपए का ही बीमा कवर मिलता है। 'आयुष्मान भारत' स्वास्थ्य योजना के लागू होने से 2020 तक देश के 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को सरकार हेल्थ बीमा कवर उपलब्ध करा सकेगी। इसके जरिए वे अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे। योजना को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना करार दिया जा रहा है।

गांवों में खुल सकेंगे होटल व सिनेमा

प्रदेश में पंचायतें अब ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का आवासीय उपयोग से व्यावसायिक, औद्योगिक, सिनेमा, होटल, संस्थागत, अस्पताल, कारखाना, सोलर या विंडपावर उपयोग एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए लैंड यूज परिवर्तित कर पट्टे जारी कर सकेगी। नए नियमों के तहत पंचायतों को अब इसके लिए अधिकार दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे ग्रामीण विकास को पंख लगेंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।

पंचायतें बनेंगी 'उजियारी पंचायत'

प्रदेश के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन के लिए शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाएगा। मई से अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में नामांकन के साथ बच्चों का स्कूलों में ठहराव भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस वर्ष पूर्ण नामांकन व ठहराव लक्ष्य को प्राप्त करने वाली पंचायतों को 'उजियारी पंचायत' के रूप में चिन्हित किया जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर